संख्या–[illegible]/4833/स0ना0उ0/पी0एस0(कैम्प)/2005 (टीसी)

प्रेषक,

पी0सी0शर्मा,
सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
राजकीय नागरिक उड्डयन,
उत्तरांचल,
देहरादून ।

नागरिक उड्डयन विभाग — देहरादून :दिनांक 10 जनवरी, 2006

विषयः– राज्य के विशिष्ट व्यक्तियों के उपयोग हेतु एक नया सुपर किंग एअर बी 200 के क्रय के सम्बन्ध में **Acceptance Protocol** हेतु श्री जी0 सितैइया, मुख्य अभियन्ता राजकीय नागरिक उड्डयन निदेशालय, उत्तरांचल को एक सदस्य के रूप में विदेश यात्रा की अनुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या–261/4833/स0ना0उ0/पी0एस0(कैम्प)/2005 दिनांक 16–8–2005 के क्रम में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय, राज्य सरकार द्वारा राज्य के विशिष्ट व्यक्तियों के उपयोग हेतु क्रय किये जा रहे एक नये वायुयान सुपर किंग एअर बी–200 के Acceptance Protocol के लिये एक सदस्य के रूप में राजकीय नागरिक उड्डयन निदेशालय, उत्तरांचल के अधिकारी श्री जी0 सितैइया, मुख्य अभियन्ता को दिनांक 16–1–2006 से 21–1–2006 तक विदेश भ्रमण, विचिटा (यूएसए) भेजे जाने हेतु उनकी विदेश यात्रा पर होने वाले व्यय को वहन करने हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005–2006 में निम्न प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1– उपर्युक्त विदेश यात्रा की अवधि में उक्त अधिकारी को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–2, भाग–2 से 4 के मूल नियम 9 (6) (बी) (1) के अन्तर्गत ड्यूटी पर माना जायेगा तथा उक्त अवधि में उन्हें मूल नियम–20 के अन्तर्गत वही वेतन व भत्ता देय होगा, जो उन्हें अन्यथा मिलता, यदि उन्हें विदेश ना भेजा जाता।

2– उपर्युक्त अधिकारी को विदेश यात्रा (भारत–विचिटा,(यूएसए)) के बीच बर्हिगामी एवं विचिटा,(यूएसए) से भारत की वापसी की हवाई यात्रायें, उन्हें अनुमन्य श्रेणी में करनी होगी और उन्हें वही यात्रा भत्ता अनुमन्य होगा जो भारत सरकार के समान वेतन पाने वाले अधिकारियों को समान परिस्थितियों में भारत सरकार के नियमों एवं आदेशों के अधीन अनुमन्य है।

3– उपर्युक्त अधिकारी को अपनी तैनाती के स्थान से भारत में हवाई अड्डे तक जाने तथा वापसी की यात्रा में भारत के हवाई अड्डे से अपनी तैनाती के स्थान तक के लिये की गई यात्राओं के सम्बन्ध में उनपर लागू होने वाले राज्य सरकार के नियमों के अधीन सामान्य शर्तों एवं दरों पर ग्राहय यात्रा भत्ता देय होगा।

4– विदेश में किये गये अवस्थान (हाल्ट) और वहां की यात्राओं के लिये उन्हें दैनिक भत्ता/यात्रा भत्ता उन दरों पर देय होगा, जिन दरों पर भारत सरकार के समान वेतन पाने वाले अधिकारी को समान परिस्थितियों में भारत सरकार के नियमों /आदेशों के अधीन अनुमन्य है।

उपर्युक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005–2006 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–24 के अधीन लेखाशीर्षक 3053–नागर विमानन 80–सामान्य 003–प्रशिक्षण तथा शिक्षा–आयोजनेतर 03–नागरिक उड्डयन –04 यात्रा व्यय के अधीन सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–197 /XXVII(2)/2006 / वि0अनु–3 दिनांक 09 जनवरी,2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(पी0सी0 शर्मा)
सचिव

संख्या–54 ए/ 4833 / स0ना0उ0 / पी0एस0(कैम्प) / 2005 (टीसी), तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सचिव, भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय / विदेश मंत्रालय / इकोनोमिक अफेयर्स, नई दिल्ली।
2– महालेखाकार, उत्तरांचल ओबरॉय मोटर बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
3– रीजनल मैनेजर, भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली।
4– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5– वित्त अनुभाग–2 उत्तरांचल शासन।
6– सम्बन्धित अधिकारी को नाम से।
7– एन0आई0सी0 उत्तरांचल सचिवालय।

आज्ञा से,

(पी0सी0 शर्मा)
सचिव